- विद्यालय में प्रधानाध्यापक के कार्य एवं दायित्व :
  - स्टेशनरी मद में प्राप्त धनराशि (मार्च माह हेतु) से स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम हेतु आवश्यक टीएलएम सामग्री की नोडल शिक्षक को उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - गतवर्ष में कक्षा–1 में शिक्षण हेतु चिन्हित नोडल शिक्षक को वर्ष 2026–27 हेतु भी नोडल शिक्षक के रूप में नामित किया जाना।
  - दीक्षा पोर्टल पर अपलोडेड 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कलेण्डर एवं संबंधित मैनुअल, निर्देशिका को डाउनलोड करते हुए कक्षा–1 के नोडल अध्यापक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
  - प्रेरणा पोर्टल पर नोडल अध्यापक के सहयोग से प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्यदिवस (शनिवार) को प्रगति का अंकन करना सुनिश्चित करेंगे।
  - **कक्षा–1 के उन अभिभावकों से लगातार संपर्क में रहेंगे, जिनके बच्चे नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग करते हुए उन बच्चों की उपस्थिति नियमित कराने का प्रयास करेंगे।**

नोडल शिक्षक संकुल के कार्य एवं दायित्व

- नोडल शिक्षक संकुल द्वारा स्कूल रेडीनेस फेज–2 संचालन के पूर्व बैठक करते हुए प्रधानाध्यापक एवं नोडल शिक्षक को कार्यक्रम हेतु आवश्यक नेतृत्व प्रदान करने के साथ मासिक नियमित बैठक में स्कूल रेडीनेस की प्रगति हेतु चर्चा के बिंदुओं को सम्मिलित किया जायेगा।
- समय–समय पर आवश्यकता के अनुसार प्रधानाध्यापकों का उत्साहवर्धन करते हुए अच्छे कार्य करने वाले प्रधानाध्यापकों एवं नोडल शिक्षक को चिन्हित करते हुए प्रोत्साहित करेंगे।

नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व :

- स्कूल रेडीनेस पर प्रशिक्षित नोडल अध्यापक द्वारा निर्धारित समयावधि में स्कूल रेडीनेस सर्टिफिकेट कोर्स पूर्ण करते हुए कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कलेण्डर का संचालन किया जाएगा।
- नोडल अध्यापक स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर में दी गई गतिविधियों के अनुसार स्थानीय सामग्री से टी.एल.एम. का निर्माण करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे।

ए0आर0पी0 के कार्य एवं दायित्व :

- नोडल ए.आर.पी. के रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड स्तर पर स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम संचालन हेतु चिन्हित नोडल द्वारा कार्यक्रम विकास खण्ड के समस्त प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- विद्यालय स्तर पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से नोडल अध्यापक की क्षमतासंवर्द्धन एवं सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

वित्तीय प्राविधानः–

- स्थान की उपलब्धता के आधार पर 52 जनपदों के डायट में ईसीसीई रिसोर्स सेंटर हेतु रू0 2.5 लाख की दर से लिमिट राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक प्री–प्राइमरी/डायट रिसोर्स सेंटर/4463/2025–26 दिनांक 19 सितम्बर 2026 के द्वारा जारी की जा चुकी है। उक्त के अंतर्गत क्षमता संवर्द्धन मद में उपलब्ध बजट से जनपद के नोडल शिक्षक संकुल का 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कलेण्डर के संचालन के अनुश्रवण हेतु संबंधित हितधारकों के कार्य एवं दायित्व–

उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य एवं दायित्वः

- नोडल शिक्षक संकुल अभिमुखीकरण कार्यशाला, ईसीसीई रिसोर्स सेंटर हेतु प्रेषित लिमिट की धनराशि (क्षमता संवर्द्धन मद) का प्रयोग किया जाएगा। उपर्युक्त हेतु कार्ययोजना बनाने का कार्य प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अपने नेतृत्व में पूर्ण किया जाए।
- ए0आर0पी0, जिला समन्वयक, एस0आर0जी0 द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में स्कूल रेडीनेस फेज–2 को कक्षा–1 में सफलतापूर्वक संचालन करने हेतु समीक्षा करते हुए आवश्यक नेतृत्व प्रदान किया जाये।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्वः

- समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं नोडल एस0आर0जी0 के साथ मार्च माह के अंतिम सप्ताह में बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे यथा **राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित गतिविधि कलेण्डर एवं संबंधित निर्देशों को प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।**
- स्कूल रेडीनेस गतिविधि कलेण्डर के अनुश्रवण हेतु 3 सदस्यीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाये, जिसमें जिला समन्वयक प्रशिक्षण/निपुण, नोडल एस0आर0जी0 एवं डायट मेंटर नामित किये जायेंगे।
- प्रत्येक सप्ताह अनुश्रवण रिपोर्ट के अनुसार ए0आर0पी0, नोडल एसआरजी एवं डायट मेंटर द्वारा नोडल शिक्षक संकुल को आवश्यक अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

जिला समन्वयक प्रशिक्षण/निपुण के कार्य एवं दायित्वः

- जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति सदस्य के रूप में आवश्यक अनुसमर्थन प्रदान करना।
- स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय योगदान प्रदान करते हुए नोडल एस0आर0जी0 के साथ नेतृत्व प्रदान करना।

नोडल एस0आर0जी0 के कार्य एवं दायित्वः

- जनपद स्तर पर जिला समन्वयक प्रशिक्षण के साथ टीम भावना में कार्य करते हुए कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करना।
- जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति सदस्य के रूप में आवश्यक अनुसमर्थन प्रदान करना।
- उक्त कार्यक्रम की प्रगति से प्री–प्राइमरी यूनिट राज्य परियोजना कार्यालय को डीसीएफ (प्रेरणा पोर्टल) विद्यालय स्तर से पूर्ण कराते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। (उक्त हेतु पृथक से यूजन मैनुअल प्रेषित किया जायेगा।)

खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्वः

- विकास खण्ड के समस्त कम्पोजिट एवं प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के साथ बैठक करते हुए स्कूल रेडीनेस फेज–2 हेतु शिक्षकों की विद्यालयवार संख्या के आधार पर रणनीति निर्धारण करेंगे।
- विकास खण्ड स्तर पर स्कूल रेडीनेस फेज–2 का कक्षा 1 में शतप्रतिशत संचालन सुनिश्चित किया जाएगा एवं समय–समय पर स्वयं पर्यवेक्षण करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे।

गतिविधि कलेण्डर एवं मैनुअल (वर्ष 2026–27)

- उक्त गतिविधि कलेण्डर एवं मैनुअल दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किये गये हैं। संबंधित कलेण्डर एवं मैनुअल को विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा डाउनलोड करते हुए कक्षा–1 के नोडल अध्यापक को अनिवार्यता उपलब्ध कराया जाए।
- स्कूल रेडीनेस फेज–2 कोर्स दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, जिसको समस्त प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, नोडल शिक्षक संकुल, नोडल एआरपी एवं नोडल एसआरजी द्वारा 20 मार्च से 10 अप्रैल के मध्य पूर्ण किया जाएगा।

स्कूल रेडीनेस फेज–2 कार्यक्रम के संचालन के पूर्व अभिमुखीकरण की कार्ययोजनाः

- राज्य स्तर पर ईसीसीई कोर ग्रुप के रूप में नोडल एसआरजी, डायट मेंटर/जिला समन्वयक निपुण/प्रशिक्षण/ए0आर0पी0 के रूप में प्रत्येक जनपद से दो प्रतिभागियों का अभिमुखीकरण दिनांक 25 से 27 फरवरी 2026 के मध्य किया गया है।
- राज्य स्तर पर प्रशिक्षित कोर ग्रुप द्वारा डायट स्तर पर नोडल शिक्षक संकुल का दो दिवसीय अभिमुखीकरण 20 मार्च 2026 तक पूर्ण किया जाना है।
- उपरोक्तानुसार प्रशिक्षित नोडल शिक्षक संकुल द्वारा संकुल बैठक के माध्यम से समस्त नोडल शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का एक दिवसीय अभिमुखीकरण 31 मार्च 2026 तक किया जाएगा।

स्कूल रेडीनेस फेज–2 गतिविधि कार्यक्रम संचालन के पूर्व की तैयारीः

- प्रधानाध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक कक्षा–1 में नामांकित समस्त बच्चों के अभिभावकों को आमंत्रित करेंगे।
- अभिभावकों को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व से जागरूक कराते हुए अभिभावकों से अनुरोध किया जाये कि बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें एवं समय–समय पर घर में बच्चों से विद्यालय में सीखी गयी गतिविधियों के बारे में भी पूछें।
- कार्यक्रम में कक्षा–1 के छात्र–छात्राओं के अभिभावकों के साथ–साथ ग्राम स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति/जागरूक वरिष्ठ नागरिक/सेवानिवृत्त अध्यापक आदि एवं शिक्षित युवाओं को भी जोडते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। उनके द्वारा ग्राम स्तर पर समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक करने में सहयोग लिया जाये।

स्कूल रेडीनेस फेज–2 समाप्ति के पश्चात् की जाने वाली विद्यालय स्तरीय गतिविधियांः

- स्कूल रेडीनेस 12 सप्ताह के गतिविधि कलेण्डर के सम्पन्न हो जाने के पश्चात् अभिभावकों के साथ बैठक आयोजित की जाये। कक्षा–1 में नामांकित समस्त छात्रों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उनके बच्चे द्वारा पिछले 12 सप्ताह में सीखी गयी विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन बच्चों द्वारा किया जाये। इसके साथ ही गत 12 सप्ताह में बच्चों द्वारा किये गये कार्यों यथा कला संबंधी गतिविधियों जिनको कि बच्चों के पोर्टफोलियो में संग्रहीत किया गया है, को अभिभावकों को दिखाया जाये।
- बच्चों से अपने अभिभावकों के सम्मुख कविता पाठ कहानी सुनाना, रोल प्ले आदि कौशलों का प्रदर्शन कराया जाये जिससे उनमें अभिव्यक्ति की स्वत्रंता एवं आत्मविश्वास विकसित हो सके। उक्त दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाये यथा अभिभावकों के साथ छोटे–छोटे खेल आयोजित करते हुए प्रोत्साहित किया जाये।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226007

वेब–साइट: www.basiceducation.up.gov.in, ई–मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

1. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
   समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
   समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–प्री–प्राइमरी/स्कूल रेडीनेस/9445/2025–26 दिनांकः–12/03/2026

विषयः–अकादमिक वर्ष 2026–27 में विद्या प्रवेश/स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कक्षा–1 में संचालित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के क्रम में कक्षा–1 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अधिगम लक्ष्यों की सम्प्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्याप्रवेश पर आधारित स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम निर्धारित 12 सप्ताह हेतु अकादमिक सत्र के प्रारंभ से प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। स्कूल रेडीनेस, के माध्यम से कक्षा–1 में नवप्रवेशित बच्चों को पूर्व प्राथमिक से संबंधित भाषा, आरंभिक अंकीय दक्षता एवं पर्यावरण से संबंधित प्री–कान्सेप्ट से अवगत कराते हुए औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है।

प्रदेश में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विगत दो वर्षों से 2 फेज में संचालित किया जा रहा है। प्रथम फेज में को–लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्रों में अकादमिक सत्र के अंतिम तीन माह में स्कूल रेडीनेस फेज–1 के रूप में संचालित किया गया है। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांकः प्री–प्राइमरी/स्कूल रेडीनेस कोर्स/6082/2025–26 दिनांकः–21.11.2025 द्वारा स्कूल रेडीनेस फेज–1 से संबंधित दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।

स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम फेज–2

विद्याप्रवेश की गाइडलाइन्स के अनुसार अकादमिक सत्र 2026–27 में 12 सप्ताह का गतिविधि आधारित स्कूल रेडीनेस फेज–2 कक्षा–1 में गतवर्षों की भांति अप्रैल माह से संचालित किया जाएगा है। उक्त कार्यक्रम से संबंधित मुख्य बिंदु निम्नवत् हैं–

समयसारिणी–

- 12 सप्ताह स्कूल रेडीनेस फेज–2 संचालन की समय सारिणी–
  - **1 अप्रैल–18 अप्रैल : कक्षा1 में बच्चों का प्रवेश/नामांकन, अभिभावकों का अभिमुखीकरण एवं अन्य तैयारियां ।स्कूल रेडीनेस मैनुअल के अनुसार प्रति दिवस करायी जाने वाली गतिविधियां नवप्रवेशी बच्चों के साथ पूर्व तैयारी के रूप में करायी जाएंगी।**
  - 20 अप्रैल से 20 मई 2026 एवं 22 जून 2026 से अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक : स्कूल रेडीनेस गतिविधि कलेण्डर 2026–27 के अनुसार कक्षा–1 का सचांलन।
  - अगस्त अंतिम सप्ताह से सितम्बर प्रथम सप्ताह तकः स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात् अभिभावकों के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से अवगत कराना।
  - प्रत्येक सप्ताह की गतिविधियों के संचालन के साथ बच्चों का सतत् आकलन किया जाएगा। उक्त से संबंधित प्रेरणा पोर्टल पर आकडों की फीडिंग हेतु निर्देश पृथक से प्रेषित किये जाएंगे।

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.